फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 45/सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2019	(नीचे देखें)	

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी उमाराम पुत्र तनाराम जाति ब्रहम्ण निवासी खिचीवाला ने वाद पत्र केम्प कोर्ट सालासर में प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खिचीवाला की जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता खंख्या 4 में खसरा नं 429/5158 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अमराराम पुत्र तनाराम है जाति ब्राहम्ण निवासी खिचीवाला दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत मालासी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम उमाराम पुत्र तनसुख राम जाति ब्रहम्ण निवासी खिचीवाला हाल आधार मेणासर है। प्रार्थी का नाम अमरराम उर्फ उमाराम पुत्र तनाराम उर्फ तनसुखराम किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई पटवार हल्का तोलियासर भु अभिलेख नि. खुडी व उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबंदी संवत 2074–2075 में प्रार्थी का नाम अमरराम पुत्र तनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी खिचीवाला दर्ज है। जो गलत है संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र रिपोर्ट सरपंच अनुसार प्रार्थी का सही नाम उमाराम पुत्र तनसुख राम जाति ब्राहम्ण निवासी खिचीवाला हाल आबाद मैणासर है जो उमाराम उर्फ अमरराम पुत्र तनाराम उर्फ तनसुखराम जाति ब्राहम्ण शुद्ध किया जाना उचित है। दोनो एक ही व्यक्ति है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव भू–अभिलेख निरीक्षक खुडी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खिचीवाला तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में नया खाता संख्या 4 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	खिचीवाला	4	**अमराराम पुत्र तनाराम हिस्सा –429/5158 जाति ब्राहम्ण निवासी खिचीवाला खातेदार राहिन हिस्सा–42 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर शेष खाता बदस्तुर**	**अमराराम उर्फ उमाराम पुत्र तनाराम उर्फ तनुसखराम हिस्सा –429/5158 जाति ब्राहम्ण निवासी खिचीवाला खातेदार राहिन हिस्सा–42 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर शेष खाता बदस्तुर**

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट सालासर में सुनाया गया।

23/7/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ